

प्रेस विज्ञाप्ति दिनांक 21.02.2021 जनपद देवरिया।

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा जनपद देवरिया के समस्त थानों पर प्रशिक्षणाधीन पुलिस कर्मियों के साथ की गयी गोष्ठी।

आज दिनांक 21.02.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा० श्रीपति मिश्र द्वारा प्रेक्षा गृह पुलिस लाईन देवरिया में समस्त थानों पर नियुक्त प्रशिक्षणाधीन उप निरक्षकों, आरक्षियों तथा महिला आरक्षियों के साथ गोष्ठी किया गया, जहाँ गोष्ठी के प्रारम्भ में समस्त पुलिस कर्मियों से उनकी समस्या के संबन्ध में पूछा गया, किसी के द्वारा कोई समस्या नहीं बताई गयी, जिसके उपरान्त गोष्ठी प्रारम्भ की गयी। पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा बताया गया कि आप एक अनुशासित विभाग में जिम्मेदार पद पर नियुक्त हैं, यहीं प्रथम अवसर है जब आप अपनी योगात्मक कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करते हुए अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि कर सकते हैं। आप आज जो सिखेंगे वह आप के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने में हमेशा कारगर सिद्ध होगा। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी व पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करते हुए सही समय पर सही निर्णय लेने से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। आप लोगों द्वारा जनता की सेवा की भावना, लोगों की मदद, आप लोगों का कुशल व्यवहार ही समाज की मानसिकता पर अपना प्रभाव डालती है, जिसके उदाहरण स्वरूप थाना भाटपाररानी में ईमानदारी का परिचय देते हुए पुलिस कर्मियों द्वारा उसके मालिक को उसका रेलवे स्टेशन पर छूटा हुआ एक बैग मय रूपयों, गहनों एवं कपड़ों सहित वापस किया गया था, तथा थाना भटनी द्वारा एक बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन कराते हुए मौके पर जाकर उसकी समस्या का समाधान कराया गया आदि जैसे कार्य आपकी उच्च कोटी की छवि को प्रदर्शित करता है और लोगों में भी लोगों की मदद करने की भावना को उत्पन्न करता है, जिससे एक प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। महिला पुलिस कर्मियों द्वारा महिला अपराध संबन्धित पीड़िताओं तथा परिजनों एवं महिला हेल्प डेस्क पर लोगों से उचित व्यवहार किये जाने के संबन्ध में बताया गया। हमेशा अपनी वर्दी के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए तथा अपना टर्न आउट उच्च कोटि का रखने के सम्बन्ध में बताया गया। कभी भी किसी जगह पर जनसंवाद करने की स्थिति में अपना जनसंवाद सकारात्मकता पूर्ण रखना चाहिए तथा लोगों से सुचितापूर्ण आचरण रखना चाहिए। वाहन चेकिंग के दौरान अपने आप को पूर्णतया संवेदनशील रखा जाना चाहिए, जिससे आप तत्काल कोई निर्णय लेने में सक्षम हों। किसी भी शिकायती प्रार्थना पत्र एवं विवेचना का निस्तारण गुणवत्ता पूर्ण तथा समयबद्ध होना चाहिए। जमीनी विवाद में प्रत्येक दशा में उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया डा० रामयश सिंह, क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री श्रीयश त्रिपाठी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवरिया श्री शंकर शरण राय, प्रतिसार निरीक्षक श्री प्रकाशचन्द्र पाण्डेय, प्रधान लिपिक श्री भुवनेश राय आदि उपस्थित रहे।

